तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	हैसियत श्रम के विरुद्ध में प्रार्थीगण को कब्जा दिलाने (नोटरा ?) तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी को नोटिस की तामील वकील प्रार्थीगण को ही करें, दस्ती तामील करावे। विपक्षी तामील व जवाब दिनांक 13.9.2022 को पेश हो।
	[signature] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
13/9/22	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 5 वकालतनामा प्रस्तुत होकर दिनांक 22.9.2022 को पेश हों।
	[signature] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
22/9/2022	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 के वकील उपस्थित। वकील विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया। ~~साक~~ जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को ~~दिलवाई~~ गई। वकील विपक्षीगण की ओर से विपक्षी को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदें पेश की गई, जो द्वितीय नोटिस प्रति पर चस्पा की गई। विपक्षी संख्या 2 से 7 रजिस्टर्ड नोटिस तामील के उपरान्त हाजिर हुए हैं और विपक्षी की ओर से वकालतनामा पेश करने की मॉनिटरिंग भी की गई थी। इससे स्पष्ट है, कि विपक्षी पक्ष को वाद/आवेदन-पत्र की जानकारी
	[signature] सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

290/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हो गई है, बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की जाती है। वकील प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई, जिसकी प्रति वकील विप्रार्थी को दिलवाई गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से दावा पत्र पेश किया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि ग्राम मांडपुरा की खसरा नम्बर 160, 161, 163 व 164 कुल रकबा 9.5607 हैक्टेयर कृषि अवस्थित है। जो वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 लक्ष्मणराम के खाते में इन्द्राज है। विप्रार्थी संख्या 01 लक्ष्मणराम, प्रार्थी संख्या 01 का ससुर व प्रार्थी संख्या 2 व 3 का दादा लगता है और लक्ष्मणराम के दो पुत्र प्रार्थी संख्या 01 के पति व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता मदनलाल व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता शंकरलाल है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है और मौके पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पति-पिता मदनलाल शराबी प्रवृत्ति का होने के कारण कोई काम-काज नहीं करता है और विप्रार्थी संख्या 01 के नाम विवादित इन्द्राज होने के कारण	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म

बेदखल करने पर आमादा होने के कारण प्रार्थीया [illegible] इनको रोकने के लिए माननीय न्यायालय में वाद पेश किया और साथ ही स्थगन आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया। उक्त स्थगन आदेश जारी होने के पश्चात विपक्षी पक्ष द्वारा प्रार्थीया के साथ झगड़ा मारपीट करने की कोशिश की गई। जिस पर प्रार्थीया द्वारा विपक्षी-पक्ष के विरुद्ध पुलिस थाना में परिवाद भी दर्ज करवाया व प्रार्थीया का विवादित भूमि में हक हिस्सा निहित होने के कारण प्रार्थीया का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जावें।

इसके विपरीत वकील विपक्षी संख्या 01 का कहना है कि प्रार्थीया की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि पुश्तैनी नहीं है। उक्त विवादित भूमि विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर विपक्षी संख्या 01 बतौर खातेदार पूर्व से ही काबिज है और वक्त सेटलमेंट के समय खसरा-कायम होने के कारण विपक्षी संख्या 01 के नाम इन्द्राज हुई। प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और स्वअर्जित भूमि में किसी का कोई हक हिस्सा नहीं होता है क्योंकि स्वअर्जित भूमि को विपक्षी बेचान

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थीगण की ओर
से गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश
किया है, क्योंकि विवादित भूमि पुश्तैनी
न होकर राजकीय है। जिसमें प्रार्थीगण
का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है।
प्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृत्ति के होने के कारण
विपक्षी संख्या 01 को परेशान करने की
नियत से झूठा वाद पेश किया है, जो
खारिज योग्य है। क्योंकि विपक्षी संख्या
01 को अपूरणीय क्षति होने के कारण
प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन
विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में बनता है और
विपक्षी संख्या 01 विवादित भूमि का रिकॉर्ड
खातेदार होने के कारण स्थगन आदेश
जारी होने से अपूरणीय क्षति भी विपक्षी
संख्या 01 को हो रही है। अतः प्रार्थीगण
का आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार
पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस
सुनी और बहस पर मनन किया तथा
पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात
का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों
एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें
पाया कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से वाद
अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act के तहत पेश
कर विवादित भूमि को पुश्तैनी बताते हुए
खुदकाश्तकार के वारिसान के आधार पर खातेदारी
घोषणा करवाने की हुक्म इम्तिनाई चाहे गये

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	
	के आधार पर जो मुतफर्रका में कायम तथ्यों के आधार पर तय होगा, कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में हक प्राप्त करने की अधिकारीगण है अथवा नहीं। लेकिन इस स्तर पर प्रकरण में यह तय करना है कि क्या विवादित भूमि पर यानि अन्तरिम स्थगन आदेश मुतफर्रका को निर्णय तक जारी किया जा सकता है अथवा नहीं। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अनुसार विवादित भूमि विप्रार्थी संख्या 01 की आवगी खातेदारी में इन्द्राज है और रिकार्डेड खातेदारान को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने से अपूरणीय क्षति उसे होगी। जबकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में हक हकूक होने की मांग की गई है, जो कालान्तर में गर्भ में है कि प्रार्थीगण हासिल प्राप्त कर सकते है अथवा नहीं। लेकिन विवादित भूमि विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि में होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण वकील द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे साबित होता है कि स्थगन आदेश प्रभावी रखा जाना अति आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील
लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.8.2022 को निरस्त कर, प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	